इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों में बहुमूल्य रत्नों वाले जिन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; वे निम्नानुसार हैं:—

रत्न	राज्य	क्षेत्र
हीरा	मध्य प्रदेश	1. पन्ना हीरा क्षेत्र, जिला पन्ना, छतरपुर तथा दामोह। 2. पयालीखंड-बहरादीह क्षेत्र, जिला रायपुर।
	आंध्र प्रदेश	1. वज्रकरूर किम्बरलाइट क्षेत्र, जिला अनन्तपुर। 2. बेंगानापल्ली कोंग्लोमेरेट, जिला कुरनूल। 3. कृष्णा नदी, प्रेवल्स, गुंटूर तथा कृष्णा जिले।
पन्ना	राजस्थान	1. बुबानी-मुहामी-राजगढ़ क्षेत्र, जिला अजमेर। 2. कालीगुमान-टेखी-गांव-गुडा क्षेत्र, जिला उदयपुर।
	उड़ीसा	1. जिला बोलनगीर।
रूबी	उड़ीसा	1. झिल्लींगधर क्षेत्र, जिला कालाहाण्डी
	आंध्र प्रदेश	1. जिला खम्माम।
एलेक्जेनड्राइट	केरल	1. जिला त्रिवेन्द्रम।
	मध्य प्रदेश	1. देवभोग क्षेत्र, जिला रायपुर।
नीलम (सैफाइअर)	जम्मू और कश्मीर	1. पाडर क्षेत्र, जिला डोडा।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य में रत्नों का खनन-कार्य शुरू करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 में यथा परिभाषित कोई भी कम्पनी या भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् खनिज संसाधनों का विदोहन कर सकता है।

Limestone and Bauxite in Scheduled Minerals

2246. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have sent a proposal for deletion of Limestone and Bauxite from the list of scheduled minerals shown in Scheduled I of MMRD ACT, 1957;

(b) if so, the detailed action thereon; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Yes, Sir. The proposal for deletion of Limestone and Bauxite from Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation and development) Act, 1957, has been considered by the Committee constituted under the Chairmanship of Secretary (Mines) with the Secretaries of some of the State Governments including the Government of Gujarat, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries, Controller General, Indian Bureau of Mines etc. as members. The terms of reference of the Committee inter-alia, included review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggest steps to reduce delays in grant/renewal of Prospecting Licences/Mining Leases. The